अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 160, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2005

No. 160, Port Blair, Friday, August 19, 2005

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 19th August, 2005.

No. 153/2005/F.No. 5-1(276)/2002-Dev.I.—In exercise of powers conferred by Section–24 of the A&N Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with sub-section (1) of Section 18 thereof, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following amendment in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F.No. 5-1(276)/2002-Dev.I dated 1st June, 2004, namely :-

1. Short Title and Commencement :-

   (a) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules (amendment) 2005.
   (b) It shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. Amendment :-

   (1) In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 (herein after called said Rules) the word "Appellate Authority" appearing in Chapter – VII shall be read as "Appellate Board".
   (2) Rule 8 of the said Rules shall be substituted as under :

      (a) District Judge appointed by the Andaman and Nicobar Administration shall act as the Chairman of the Appellate Board for the purpose of the Regulation and for the purpose of hearing any matter within the purview of the Regulation. Officer-in-Charge, Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture, Govt. of India, Port Blair and Deputy Secretary (Law), Andaman and Nicobar Administration shall act as the Members of the Appellate Board.

      (b) Assistant Secretary (Fisheries), Andaman and Nicobar Administration shall act as the Secretary to Appellate Board.

      (c) The Appellate Board shall further be assisted by such other officer of the Andaman and Nicobar Administration / Department of Fisheries as the State Government may, by suitable notification, from time to time, appoint for the purpose.

      (d) While holding an enquiry or trying any dispute, the Appellate Board shall exercise the power vested on it under Sub section (1), (2) and (3) of Section 20.

      (e) The fees and allowances to the Chairman, Appellate Board and Members shall be Rs. 500/- and Rs. 300/- respectively per sitting.

Sd/-
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lieutenant Governor

Sd/-
(Brij Lal)
Assistant Secretary (Fisheries)

MGPPB—160/Gazette/05 — 40 Copies. 160-Gazette-05 SB.

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 230, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2007

No. 230, Port Blair, Friday, October 12, 2007

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2007

सं. 221/2007/फा.सं. 5–1(276)/2002–डेव.–I.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 3 के अन्तगर्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह उक्त विनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को न्याय निर्णय अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हैं, अर्थात्:–

1.	निदेशक, मत्स्य उद्योग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	सम्पूर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए न्याय निर्णय अधिकारी
2.	अधिकारी जो मत्स्य उद्योग विभाग अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सम्बन्धित क्षेत्र में सहायक निदेशक, मत्स्य उद्योग के रेंक से नीचे के न हो	सम्बन्धित क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी
3.	अधिकारी जो उप कमाण्डेन्ट तटरक्षक क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के रेंक से नीचे के न हो	सम्पूर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्राधिकृत अधिकारी

उप राज्यपाल,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–

(सुश्री सलीना)

सहायक सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 12th October, 2007

No.221/2007/F.No. 5-1(276)/02-Dev-I.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is pleased to appoint the following Officers to be the Adjudicating Officer and Authorized Officer for the purposes of the said Regulation, namely:—

(1)	The Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands	Adjudicating Officer for entire Andaman and Nicobar Islands.
(2)	An officer not below the rank of Assistant Director of Fisheries in the respective Zone of the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration	Authorised Officer for the respective zone.
(3)	An officer not below the rank of Deputy Commandant Coast Region, Andaman and Nicobar Islands	Authorised Officer for entire Andaman and Nicobar Islands.

Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(Ms. Salina)
Assistant Secretary (Fy.)

MGPPB—230/Gazette/2007—40 Copies. (YSN).

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 231, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2007
No. 231, Port Blair, Friday, October 12, 2007

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2007

सं. 222/2007/फा.सं. 5–1(276)/02–डेव.–I.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 2 और धारा 3 की उपधारा (ए) (ई) (ओ) के साथ पठित इसी की धारा 24 के अन्तगर्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र के दिनांक 1 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 103/2004 फा.सं.5–1(276)/2002 डेव–1 के अनुसार प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. संशोधन :–

(1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 में (जिसे इसके बाद से उक्त नियमावली कहा जाएगा) के अध्याय I की परिभाषा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(क) "न्याय निर्णय अधिकारी" से अभिप्रेत है निदेशक, मत्स्य उद्योग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है वह अधिकारी जो सहायक निदेशक, मत्स्य उद्योग विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और उप कमाण्डेन्ट, भारतीय तटरक्षक के रैंक से नीचे के न हो ।

(ग) "मेरीन इंजीनियर" से अभिप्रेत है वह इंजीनियर जो जहाजरानी सेवा विभाग अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में सहायक मेरीन इंजीनियर के नीचे के रैंक के न हो । वह इंजीनियर जो भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, भारत सरकार में सर्विस इंजीनियर (मेकेनिकल) से नीचे के रैंक के न हो ।

(घ) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश के चारों ओर का जल क्षेत्र जो 12 समुद्री मील से अधिक न हो ।

2. उक्त नियमावली के नियत 5 (क) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

मत्स्यहरण के विनिर्दिष्ट क्षेत्र	चलाने के लिए मत्स्यहरण जहाज की श्रेणी	प्रयोग किए गए गियर/मीश आकार
(i) मत्स्यहरण क्षेत्र – क समुचित आधार रेखा से 06 नाटिकल मील तक का अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के चारों ओर का प्रादेशिक जल	सभी मत्स्यहरण जहाज जिनमें इन बोर्ड इंजन अथवा आऊट बोर्ड इंजन लगे हुए हों तथा 30 अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) से कम के इंजन हो	(i) गिल नेट जिसमे जाल के छेद 25 मि.मी. मेश से कम न हो (आडे में गांठ से गांठ तक) (ii) हूक एवं डोरी (iii) शोर सीन/ड्रेग नेट जिसमें जाल के छेद 25 मि.मी. मेश से कम न हो (iv) फिश ट्रैप
(ii) मत्स्यहरण क्षेत्र – ख समुचित आधार रेखा से 06 समुद्री मील से आगे 12 समुद्री मील तक के अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के चारों ओर का प्रादेशिक जल	सभी मत्स्यहरण जहाज जिनमें इन बोर्ड इंजन अथवा आऊट बोर्ड इंजन लगे हुए हों तथा 30 अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) से कम के इंजन हो	(i) गिल नेट ऐस इन वन 25 मि.मी. मेश से कम के न हो (ii) जाल के मानक साइज का ट्रालर नेट जिनमें उपयुक्त टरट्ल एक्सक्लूजर डिवाइस लगे हो (iii) लौंग लाइन, पर्ष, सीन एक्वाइट जिग्गर (iv) हूक एवं डोरी

3. (क) उक्त नियमावली के अध्याय II के नियम–3 (क) के बाद (क)(i), अध्याय (iii) के नियम 4 ख के बाद 4 ख (1) और अध्याय–v के नियम 6 (डब्ल्यू) के बाद नियम 6 (एक्स) के रूप में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:–

"मत्स्यहरण जहाज को लाईसैन्स देने से पहले प्राधिकृत अधिकारी इसे मेरीन इंजीनियर के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने को कह सकेगा ताकि यह पता लगा सके कि जहाज अच्छी स्थिति में है और समुद्री यात्रा योग्य है। यदि मेरीन इंजीनियर इन मुद्दों पर संतुष्ट हो जाता है तो वह तदनुसार निर्धारित शुल्क की अदायगी हो जाने पर समुद्री यात्रा योग्य होने का प्रमाण–पत्र जारी करेगा। यदि जहाज यंत्रिकी साधन से चलता हो तो प्राधिकृत अधिकारी की लाईसेन्स जारी करने से पहले ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।"

"भारतीय तटरक्षक के प्राधिकृत अधिकारी के पास मत्स्यहरण जहाज के पंजीकरण और लाईसेन्स को छोड़कर विनियम और नियमों के अन्तर्गत दी गयी सभी शक्तियाँ प्राधिकृत अधिकारी के पास होंगी।

(ख) मेरीन इंजीनियर द्वारा मत्स्यहरण जहाज की अच्छी स्थिति और समुद्री यात्रा योग्य होने का प्रमाण–पत्र मंजूर करने का शुल्क रु. 30/– अथवा समुद्री यात्रा योग्य प्रमाण–पत्र जारी करने वाले ऐन्जेसी द्वारा निर्धारित अनुसार शुल्क, जो भी अधिक हो, अदा करना होगा।

उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
ह./–
(सुश्री सलीना)
सहायक सचिव (मत्स्य)

~~~~~~~~~~

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 12th October, 2007

No.222/2007/F.No. 5-1(276)/02-Dev-I.—In exercise of the powers conferred under section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with Sub-Section (a),(e), (o) of Section 2 and Section 3 thereof, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Amendment in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rule, 2004 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F. No. 5-1(276)/2002-Dev-I dated 1st June, 2004, and notifies as follows:
~~~~~~~~~~

1. <u>SHORT TITLE AND COMMENCEMENT</u> :-

(a) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007.

(b) It shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. <u>AMENDMENT</u>

(1) In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 (hereinafter called said Rules) definitions appearing in Chapter-I shall be substituted as under:

(a) "Adjudicating Officer" means the Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands.

(b) "Authorized Officer" means an Officer not below the rank of an Assistant Director of Fisheries in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration and an Officer not below the rank of Deputy Commandant in the Indian Coast Guard.

(c) "Marine Engineer" means an Engineer not below the rank of Assistant Marine Engineer in the Department of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, an Engineer not below the rank of Service Engineer (Mech.) in the Fishery Survey of India, Govt. of India.

(d) "Specified area" means areas in the Territorial waters surrounding the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands not beyond 12 nautical miles.

(2) The table in Rule 5 (a) of the said Rules shall be substituted as under:

	Specified area for fishing	Class of fishing vessels for plying	Type of gear/mesh size to be used
(i)	Fishing Zone – A (Territorial Waters surrounding Andaman and Nicobar Islands, upto 06 nautical miles from the appropriate baseline	All fishing vessels fitted with either inboard engine (s) or outboard motor (s) having engine horse power below 30 hp	i) Gill net not below 25 mm mesh (knot to knot diagonally) ii) Hook and Line iii) Shore seine/drag net of mesh size not below 25 mm. iv) Fish Traps
(ii)	Fishing Zone – B (Territorial Waters surrounding Andaman and Nicobar Islands, beyond 06 nautical miles from the appropriate baseline and extending upto 12 nautical miles	All fishing vessels fitted inboard engine (s) or outboard motor (s) having engine horse power of 30 hp and above.	i) Gill net not below 25 mm mesh ii) Trawl net of standard mesh size fitted with turtle excluder device suitable to the trawlnet iii) Longline, purse seine, squid jigger iv) Hook and Line

(3) (a) In the said Rules in Chapter – II after Rule – 3 (a), (a) (i) is inserted is as follows in Chapter – III after Rules 4(b), and in Chapter – V after Rules 6 (w) the following provision shall be inserted as Rules 3 (a) (i), 4 (b) (i) and 6 (x) respectively.

"Before licensing a fishing vessel the Authorised Officer may require it to be produced for the inspection of the Marine Engineer with a view to ascertain whether it is in good condition and seaworthy. If the Marine Engineer is satisfied on these points he shall grant a seaworthiness certificate accordingly on payment of the prescribed fee. The Authorised Officer shall require such a certificate before licensing if the vessel is to be propelled by mechanical means."

"The Authorised Officers from Indian Coast Guard shall have all powers of Authorised Officer under Regulation and Rules expect registration and licensing of Fishing Vessel."

(b) The fees for grant of certificate by the Marine Engineer for a fishing vessel in good condition and seaworthy shall be Rs. 30/- or as prescribed by the agency issuing the Seaworthy Certificate, whichever is higher.

Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.
By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(Ms. Salina)
Assistant Secretary (Fy.)

MGPPB—231/Gazette/2007—40 Copies. (YSN).

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 95 पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 22 जुलाई, 2009
NO. 95 PORT BLAIR, WEDNESDAY JULY 22, 2009

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 जुलाई, 2009

सं. 69/2009/सं. 3-65/2008-09/टी.एस./डी.एफ.—प्रशासन के दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 221/2007/फा. सं. 5-1(276)/02-5 विकास-I के साथ पठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, उक्त विनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने के कालम में दर्शाए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी, मैरीन इंजीनियर तथा मत्स्य अधिकारी नियुक्त करते हैं, अर्थात्—

1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के सभी थाना प्रभारी, भारतीय तटरक्षक के अधिकारी सहायक इंजीनियर/प्रधान यांत्रिक, उत्तम अधिकारी/उत्तम सहायक इंजीनियर, प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर ।	मत्स्यहरण जलयानों का पंजीकरण करने, मत्स्यहरण जलयानों के लिए लाइसेंस प्रदान करने तथा पहचान पत्र जारी करने को छोड़कर संपूर्ण अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्राधिकृत अधिकारी
2.	इंजीनियर जो अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर(मैकेनिकल), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा विभाग में कार्यरत सहायक मैरीन इंजीनियर और भारत सरकार, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण में कार्यरत सर्विस इंजीनियर (मैकेनिकल) की पद से नीचे का न हो ।	मैरीन इंजीनियर
3.	'मत्स्य अधिकारी' से अभिप्रेत है मत्स्य विभाग में कार्यरत सहायक मत्स्य रक्षक, मत्स्य उप निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य अधीक्षक, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक तथा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग में कार्यरत प्रधान सिपाही, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक तथा वन विभाग में कार्यरत प्रधान वन रक्षक, वन दरोगा, उप रेंजर और वन रेंजर के पद के अधिकारी हो ।	मत्स्य अधिकारी

ह./-

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./-

(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 22nd July, 2009

No. 89/2009/F.No.3-85/2008-09/TS/DF.— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with Notification No. 221/2007/F.No.5-1(276)/2002-Dev.I, dated 12th October, 2007, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is pleased to appoint and include the following Officers to be the Authorized Officer, Marine Engineer and Fishery Officer as mentioned against respective column for the purposes of the said Regulation namely:-

(1)	All Station House Officers of Police Department, Andaman and Nicobar Islands and Adhikari Sahayak Engineer/ Pradhan Yantrik, Uttam Adhikari/Uttam Sahayak Engineer, Pradhan Adhikari, /Pradhan Sahayak Engineer of Indian Coast Guard.	Authorized Officer for entire Andaman and Nicobar Islands except for registration of fishing vessels, licencing fishing vessels and issuance of ID card.
(2)	An Engineer not below the rank of Junior Engineer (Mechanical) in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration, not below the rank of Assistant Marine Engineer in the Department of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration and an Engineer not below the rank of Service Engineer (Mech.) in the Fishery Survey of India, Government of India.	Marine Engineer
(3)	"Fishery Officer" means an officer of the rank of Assistant Fisheries Guard, Sub-Inspector of Fisheries, Fisheries Inspector, Supdt. of Fisheries, Sr. Fisheries Inspector and Assistant Fisheries Development Officer in the Department of Fisheries, Police Officer of the rank of Head Constable, Asst. Sub-Inspector of Police, Sub-Inspector of Police in the Police Department, Andaman and Nicobar Islands and Forest Officer of the rank of Head Forest Guard, Forester, Dy. Ranger and Forest Ranger in the Forest Department.	Fishery Officer

Sd/-
Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh,
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor
Sd/-
(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

MGPPB—95/Gazette/2009—60 Copies. (Rg.)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 96, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 22 जुलाई, 2009

NO. 96, PORT BLAIR, WEDNESDAY, JULY 22, 2009

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 जुलाई, 2009

सं. 90/2009/फा. सं. 3–85/2008–09/टी.एस./डी.एफ.— अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 की धारा 2 की उप धारा (ई) और धारा 4 की उप धारा (एम) के साथ पठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 2 की उप धारा 1 (बी) और (सी) के साथ पठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 01.06.2004 की अधिसूचना सं. 103/2004/फा.सं. 5–1(276)/2002–विकास–I के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 में और दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 222/2007/फा.सं. 5–1(276)/2002–विकास–I के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2007 में निम्न संशोधन करते हैं और अधिसूचित करते हैं, जो इस प्रकार है :–

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:–

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. संशोधन:–

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 (इसके बाद जिसे उक्त नियमावली कहा गया है) के संशोधन 2(1) (ख) तथा (ग) में उदधृत परिभाषाएं और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के अध्याय 1, 2(ई) और अध्याय – III, 4(एम) में उदधृत परिभाषा के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग में कार्यरत अधिकारी जो सहायक मत्स्य निदेशक के पद से कम का नहीं होगा, भारतीय तट रक्षक में कार्यरत अधिकारी जो अधिकारी सहायक इंजीनियर/प्रधान यांत्रिक, उत्तम अधिकारी/उत्तम सहायक इंजीनियर, प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर, उप कमांडेंट के रैंक से कम का नहीं होगा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के सभी थाना प्रभारी ।

(ख) "मैरीन इंजीनियर" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग में कार्यरत इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद से कम का न हो, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा विभाग में कार्यरत इंजीनियर जो सहायक मैरीन इंजीनियर के पद से कम का न हो और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, भारत सरकार में कार्यरत इंजीनियर जो सर्विस इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद से कम न हो ।

(ग) "मत्स्य अधिकारी" से अभिप्रेत है मत्स्य विभाग में कार्यरत सहायक मत्स्य रक्षक, मत्स्य उप निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य अधीक्षक, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पद का अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग में प्रधान सिपाही, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक के पद का पुलिस अधिकारी और वन विभाग में प्रधान वन रक्षक, वन दरोगा, उप रेंजर और वन रेंजर के पद का अधिकारी ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 की धारा 2 की उप धारा 3(ए), क्रमांक (ii), (iii) और (iv) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :–

3(ए)(ii) नया मत्स्यहरण लाइसेंस जारी करने से पूर्व मत्स्य विभाग का प्राधिकृत अधिकारी अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग से आवेदकों का पूर्ववृत्त की जांच करवाएगा ।

(iii) "भारतीय तट रक्षक और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों का विनियम और नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी के सभी अधिकार प्राप्त होंगे लेकिन मत्स्यहरण जहाजों का पंजीकरण, मत्स्यहरण जहाजों को लाइसेंस देने और पहचान पत्र जारी करने का कार्य इसमें शामिल नहीं होगा" ।

(iv) सभी मत्स्यहरण लाइसेंस 31 मार्च तक नवीकृत किए जाने चाहिए तथापि मत्स्यहरण लाइसेंस इस नियमावली के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची– III में निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ एक माह के भीतर अर्थात् 30 अप्रैल तक नवीकृत किया जा सकेगा । परन्तु 30 अप्रैल के बाद मत्स्यहरण लाइसेंस रद्द माना जाएगा ।

(v) मत्स्यहरण जलयानों में कार्यरत नाविक सदस्यों/मछुवारा/गोताखोर अंडमान तथा निकोबार मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के तहत पंजीकृत किसी भी मत्स्यहरण जलयान से मछली पकड़ सकते हैं ।

ह./–

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह,
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–

(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

अनुसूची – III

कृपया नियम 4(एच) तथा (एम) देखें

मत्स्यहरण लाइसेंस, मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण के लिए देय शुल्क तथा मत्स्यहरण लाइसेंस के नवीकरण में विलम्ब के लिए जुर्माना

क्र. सं.	मत्स्यहरण जलयान का विवरण	मत्स्यहरण लाइसेंस / मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण	लाइसेंस के नवीकरण में एक माह या उसके भाग के विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क सहित जुर्माना
1.	यन्त्रीकृत / मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान		
	i) 30 बी.एच.पी. तक (15 मीटर ओ.ए.एल. तक के जलयान)	रु. 100/–	रु. 10/–
	ii) 30 बी.एच.पी. से ऊपर (15 मीटर ओ.ए.एल. ऊपर के जलयान)	रु. 1000/–	रु. 100/–
	iii) नाविक सदस्यों / मछुआरों / चालकों के लिए प्रति व्यक्ति	रु. 10/–	रु. 2/–
	iv) क्रीड़ा मत्स्यहरण जलयान	रु. 2000/–	रु. 100/–
2.	गैर यन्त्रीकृत बोट		
	i) चप्पू और पाल से चलाए जाने वाले गैर यन्त्रीकृत देशी नौका	रु. 25/–	रु. 5/–
	ii) नाविक सदस्यों / मछुआरों / गोताखोरों के लिए	रु. 10/–	रु. 2/–

टिप्पणी : विलम्ब शुल्क सहित मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक स्वीकार्य होगा । 30 अप्रैल के बाद मत्स्यहरण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ।

ह./–
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह,
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 22nd July, 2009

No. 90/2009/F.No.3-85/2008-09/TS/DF.— In exercise of the powers conferred under section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with sub-section (1) (b) and (c) of section 2 of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007 read with sub-section (e) of section 2 and sub-section (m) of section 4 of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following amendment in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004, as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F.No.5-1(276)/2002-Dev.I, dated 01/06/2004 and Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2007 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 222/2007/F.No.5-1(276)/02-Dev. I, dated 12th October, 2007 and notifies as follows:

1. Short Title and Commencement:-

(a) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2009.

(b) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. Amendment:-

In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007 (herein after called said Rules), definition appearing in amendment 2 (1)(b) and (c) and Andaman and Nicobar Islands Marine Rules, 2004, definitions appearing in chapter-I, 2 (e) and in chapter – III, 4 (m) shall be substituted as under:

(a) "Authorized Officer" means an Officer not below the rank of an Assistant Director of Fisheries in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration, an Officer not below the rank of Adhikari Sahayak Engineer/Pradhan Yantrik, Uttam Adhikari/ Uttam Sahayak Engineer, Pradhan Adhikari/Pradhan Sahayak Engineer, Deputy Commandant in the Indian Coast Guard and all Station House Officers of Police Department, Andaman and Nicobar Islands.

(b) "Marine Engineer" means an Engineer not below the rank of Junior Engineer (Mechanical) in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration, not below the rank of Assistant Marine Engineer in the Department of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration and an Engineer not below the rank of Service Engineer (Mech.) in the Fishery Survey of India, Govt. of India.

(c) "Fishery Officer" means an officer of the rank of Assistant Fisheries Guard, Sub-Inspector of Fisheries, Fisheries Inspector, Supt. of Fisheries, Sr. Fisheries Inspector and Assistant Fisheries Development Officer in the Department of Fisheries, Police Officer of the rank of head Constable, Asst. Sub-Inspector of Police, Sub-Inspector of Police in the Police Department, Andaman and Nicobar Islands or Forest Officer of the rank of Head Forest Guard, Forester, Dy. Ranger and Forest Ranger in the Forest Department.

In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007, under sub-section 3 (a) of section 2, sl. (ii), (iii), (iv) and (v) are inserted as follows:

3(a) (ii) Before issuance of fresh fishing license, the Authorized Officer of the Department of Fisheries shall ascertain the antecedents of the applicants from the Police Department of Andaman and Nicobar Islands.

(iii) "The Authorized Officers from Indian Coast Guard and Police Department, A&N Islands shall have all powers of Authorized Officer under the Regulation and Rules except registration of fishing vessel licensing of the fishing vessel and issuance of ID card."

(iv) All fishing licence to be renewed by 31st March, however, fishing licence can be renewed with late fee at the rate prescribed in the amended schedule III annexed with these rules but within one month i.e., by 30th April. After 30th April, the fishing license shall stand cancelled.

(v) The Crew members/ fisherman/ divers engaged onboard fishing vessel can do fishing from any registered fishing vessel registered under Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004.

Sd/-
Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh,
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor

Sd/-
(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

SCHEDULE – III

See Rule 4 (h) & (m)

FEES PAYABLE FOR FISHING LICENCE, RENEWAL OF FISHING LICENCE AND PENALTY FOR DELAY IN RENEWAL OF FISHING LICENCE

Sl. No.		Description of fishing vessel	Fishing licence/renewal of fishing licence	Penalty with late fee for delay in renewal of licence by one month or part thereof
1.	**Mechanical/Motorized fishing vessel**			
	i)	Upto 30 BHP (vessels upto 15 meters OAL)	Rs. 100/-	Rs. 10/-
	ii)	Above 30 BHP (vessels above 15 meters OAL)	Rs. 1000/-	Rs. 100/-
	iii)	For crew members/fishermen/drivers per head	Rs. 10/-	Rs. 2/-
	iv)	Sport fishing vessel	Rs. 2000/-	Rs. 100/-
2.	**Non–mechanized boat**			
	i)	Non-mechanized country crafts powered by oars and sails	Rs. 25/-	Rs. 5/-
	ii)	For crew members/fishermen divers	Rs. 10/-	Rs. 2/-

Note : Renewal of fishing licence with late fee is admissible upto 30th April of each year. After 30th April, the fishing licence shall stand cancelled.

Sd/-
Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh,
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-
(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

MGPPB—96/Gazette/2009—60 Copies. (Dr.)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 27, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 15 जनवरी, 2010
No. 27, Port Blair, Friday, January 15, 2010

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 15 जनवरी, 2010

सं. 23/2010/फा. सं. 3–38/2008–09/टी.एस./डी.एफ.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 1.6.2004 की अधिसूचना संख्या 103/2004/फा.सं. 5–1 (276)/2002 विकास– I के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं और निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये इसके अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. संशोधन :

(1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 की धारा 16 (क) के तहत अनुसूची VI के खण्ड (च) में निम्नलिखित इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :– 'समुद्री शिल्प की कोई भी प्रजातियाँ कच्चे रूप में जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल नहीं हैं, के लिए रॉयल्टी रु. 50/– प्रति किलोग्राम होगा ।'

ह./–
(लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा–निवृत्त) भूपेन्द्र सिंह)
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 15th January, 2010

No. 23/2010/F.No.3-38/2008-09/TS/DF.— In exercise of the powers conferred under Section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003), the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following amendment to the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F.No.5-1(276)/2002-Dev. I dated 01/06/2004 and notifies as follows:

1. Short Title and Commencement :

(a) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2010.

(b) It shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. Amendment :

(1) Clause (f) of Schedule – VI under Section 16 (a) of the Andaman & Nicobar Islands Fishing Rules, 2004, the following shall be substituted as under

"Any species of sea shells not covered under Wild Life (Protection) Act, 1972 in raw form shall pay the royalty of Rs. 50/- per kg."

Sd/-

(Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh)
Lieutenant Governor (Administrator)
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/

(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

MGPPB—27/Gazette/2010—260 Copies (ES)